प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 22.04.2025

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी व लूट/स्नैचिंग की घटना करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 01 मोटर साईकिल चोरी व लूट के 02 मोबाईल फोन बरामद।

दिनांक 21.04.2025 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1. गौपाल पुत्र कुलदीप निवासी मौहल्ला कल्लूनंगला बबराला थाना गुनौर जिला सम्भल 2. गुड्डू पुत्र मौहबत निवासी मौहल्ला साहूकार बबराला गुनौरा जिला सम्भल को एसजी निर्माणधीन बिल्डिंग सजवान नगर के रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग नशे करने के आदी हैं इसीलिये हम दोनों मिलकर दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र से मोटर साईकिल चोरी करके तथा उस मोटर साईकिल का प्रयोग करके राहगीरों से उनके मोबाईल/पर्स/चैन आदि सामान छीन कर भाग जाते है। तथा मोबाईल व सामान तथा मोटर साईकिल को सस्ते दामों पर चलते फिरते व्यक्तियों को बेच देते है और जो पैसा मिलता है उससे आपस में बांट लेते है और अपने शौंक पूरे करते हैं। जो हमसे मोटर साईकिल हमसे बरामद हुई है वह हमने दिनांक 21.04.2025 को दिल्ली से चोरी की थी तथा उसी से हमने उसी दिन नोएडा मामूरा चौक से राह चलते दो व्यक्तियों से यह फोन छीन थे। जिन्हें हम बेचने की फिराकर में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्त

1. गौपाल पुत्र कुलदीप निवासी मौहल्ला कल्लूनंगला बबराला थाना गुनौर जिला सम्भल उम्र करीब 20 वर्ष।
2. गुड्डू पुत्र मौहबत निवासी मौहल्ला साहूकार बबराला गुनौरा जिला सम्भल उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक मोटर साईकिल आपाचे रंग सफेद
2. 02 मोबाईल फोन

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनाँक 22.04.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ मोनू उर्फ सोनू पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम रईसपुर थाना मधूबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को वैशाली कट के पास से 05 किलो ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ मोनू उर्फ सोनू पुत्र पदम सिंह उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पुछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ मोनू उर्फ सोनू पुत्र पदम सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि वह उडीसा से गांजा खरीद कर लाता हैं तथा गांजे की पुडिया बनाकर दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा में लोगों को 100-150 रुपये प्रति पुडिया के दर से बेचता है और उन्ही पैसों से अपना व अपने परिवार का गुजारा करता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

जितेन्द्र उर्फ मोनू उर्फ सोनू पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम रईसपुर थाना मधूबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- 05 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ मोनू उर्फ सोनू पुत्र पदम सिंह उपरोक्त के विरुद्ध लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि से सम्बन्धित थाना सिहानीगेट, थाना कौशाम्बी व थाना मोदीनगर पर 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 वायर रॉड स्टैण्ड लोहे के वजन करीब 260 किलोग्राम व 03 पाइप स्टील के वजन करीब 90 किलो ग्राम बरामद।

दिनांक 21.04.2025 को थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर वादी श्री सुखबीर सिंह बिष्ट पुत्र स्वः राम सिंह बिष्ट निवासी लाल कुँअ जी0टी0 रोड, गाजियाबाद के प्राप्त प्रार्थना पत्र कि दिनांक 20.04.2025 को अभियुक्तगण 1. शशी रंजन 2. रामपुकार 3. केशर 4. सोमवीर 5. सूर जो सभी SIS सिक्योरिटी के गार्ड है के द्वारा वादी/कम्पनी मैनेजर की कार्यरत कम्पनी नरेश कुमार एण्ड क0प्र0लि0, C/A, टाटा स्टील लि0, ला कुँआ से स्टील पाईप एवं स्टैण्ड वजनी लगभग 400 कि0ग्रा0 को चोरी कर ले जाना जिसके संबंध में थाना वेव सिटी पर धारा- 305(a) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं चोरी गये माल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल ईनपुट के आधार पर अभियुक्तगण 01. रामपुकार सिंह पु स्व0 श्री केशवर सिंह निवासी गाँव धमकी थाना रैका जनपद मधुबनी (बिहार) उम्र 55 वर्ष हाल पता मनोज यादव के मकान में किराये पर ग्राम शाहपु बम्हैटा थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद 02. सूरज सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मनोज कुमार के मकान में किराये पर ग्राम शाहपुर बम्हैटा थान वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष, 03. सोमवीर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम मथुरानांगल थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र 25 व हाल पता पंचशील कालोनी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर, 04. शशी रंजन कुमार पुत्र संजय शुक्ला निवासी ग्राम बांसगाँव थाना भैरवगं जनपद पश्चिमी चम्पारण (बिहार) उम्र 40 वर्ष हाल पता पंचशील कालोनी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर, 05. केशर सिंह पुत्र लाल सि निवासी ग्राम शान्ति नगर थाना बाजपुर जनपद उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) उम्र 28 वर्ष हाल पता पंचशील कालोनी थाना बिसरख जनप गौतमबुद्धनगर को दिल्ली पुलिस कालोनी के पास खाली पडे ग्राउण्ड की दीवार के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशादेही से चो किया गया सामान दो अदद वायर रॉड स्टैण्ड लोहे के वजन करीब 260 किलो ग्राम व तीन पाईप स्टील के वजन करीब 90 किलो ग्राम बरामद हुए बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2),3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम पाँचो व्यक्ति नरेश कुमार एण्ड क0प्र0लि0, C/A, टाटा स्टील लि0, लाल कुँआ, गाजियाबाद SIS सिक्योरिटी की तरफ से गार्ड की नौकरी करते है और पिछले कई दिनों से हम सभी कम्पनी से बडा सामान चुराकर मुनाफा कमाने की फिरा में थे और दिनांक 20.04.2025 को हम पाँचो ने एक राय बनाकर मौका पाकर कम्पनी में से वायर रॉड स्टेण्ड लोहे के व स्टील के पाईप चोरी क लिये थे और सारे सामान को टाटा स्टील यार्ड के पास खाली पडे प्लाट में छिपा दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पताः-</u>

1. रामपुकार सिंह पुत्र स्व0 श्री केशवर सिंह निवासी गाँव धमकी थाना रैका जनपद मधुबनी (बिहार) उम्र 55 वर्ष हाल पता मनोज यादव के मका में किराये पर ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद
2. सूरज सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मनोज कुमार के मकान में किराये पर ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष
3. सोमवीर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम मथुरानांगल थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र 25 वर्ष हाल पता पंचशील कालोनी थाना बिसरर जनपद गौतमबुद्धनगर,
4. शशी रंजन कुमार पुत्र संजय शुक्ला निवासी ग्राम बांसगाँव थाना भैरवगंज जनपद पश्चिमी चम्पारण (बिहार) उम्र 40 वर्ष हाल पता पंचशी कालोनी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर,
5. केशर सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम शान्ति नगर थाना बाजपुर जनपद उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) उम्र 28 वर्ष हाल पता पंचशील कालो थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर फिरोज पुत्र बाबूदीन निवासी यासीनगढ़ी कस्बा डासना थाना वेवसिटी गा0बाद उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

चोरी किये गये 02 वायर रॉड स्टैण्ड लोहे के वजन करीब 260 किलो ग्राम व तीन पाईप स्टील के वजन करीब 90 किलो ग्राम बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना वेव सिटी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मारपीट के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 20.04.2025 को थाना खोडा पर वादी श्री गुरेन्द्र सिह पुत्र वासुदेव सिह निवासी शिव पार्क खोडा कॉलोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 19.04.2025 की शाम को चार लडके 1. कपिल 2. निखिल 3. मोनू गढवाली 4. सूरज चौहान व अन्य 04 अज्ञात के द्वारा मेडीकल पर आकर वादी के दोनों बेटे पीयूष और सत्यम के साथ दवाओं की कीमत से ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाकर मारपीट की गई। जिसके संबंध में थाना खोडा पर वादी की तहरीर के आधार पर धारा 115(2), 352, 351(2), 110, 127(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 22.04.2025 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त घटना में वांछित 04 अभियुक्तगण 1. कपिल पुत्र राजपाल यादव निवासी खोडा गांव थाना खोडा कमि0 गजियाबाबाद उम्र करीब 29 वर्ष 2. सूरज सिंह पुत्र नरेश चौहान निवासी अनिल विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 3. निखिल ठाकुर पुत्र लाल बहादुर निवासी आजाद विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष व 4. मोनू गढवाली उर्फ मोहन सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी अनिल विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को मौहल्ला आजाद विहार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मेडिकल पर दवाओं की कीमत से ज्यादा पैसे लेने को लेकर वादी के बेटों के साथ मारपीट कर घायल कर देने की घटना कारित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. कपिल पुत्र राजपाल यादव निवासी खोडा गांव थाना खोडा कमि0 गजियाबाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
2. सूरज सिंह पुत्र नरेश चौहान निवासी अनिल विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
3. निखिल ठाकुर पुत्र लाल बहादुर निवासी आजाद विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष ।
4. मोनू गढवाली उर्फ मोहन सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी अनिल विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त कपिल उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा पर मारपीट करने से सम्बन्धित 04 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सूरज सिंह उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा पर मारपीट करने से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त निखिल ठाकुर के विरूद्ध थाना खोडा पर मारपीट करने से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त मोनू गढवाली उर्फ मोहन सिंह उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा पर मारपीट करने से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।